न्यायालय उपखण्ड ...

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0नं0 – 539 / 2018

प्रीतमसिंह पुत्र सुन्दरसिंह जाति मजहबी निवासी 46 जीजी तहसील पदमपुर

प्रार्थी––

बनाम

अप्रार्थी ––

1. हर आम व खास

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट व 151 सीपीसी</u>** दिनांक:- 22/10/19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील पदमपुर के चक 46 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 66 / 62 नया / पुराना के मु0न0 4 में 0.430 है0, मु0न0 5 में 4.8200 है0, मु0न0 11 में 1.2400 है0, मु0न0 55 में 0.3420 है0 कुल 6.832 है0 नहरी भूमि प्रार्थी व वीरासिंह, जंगीरकौर, सीतो, छोटी पि0 सुन्दरसिंह के नाम बहिब0 5 / 7 हिस्सा व मिलखीराम, गोलाराम पि0 जंगीरसिंह के नाम बहिब0 1 / 7 हिस्सा व शेष भूमि सुखदेवसिंह, वीरपालकौर पि0 भगवानसिंह के नाम बहिब0 1 / 7 हिस्सा में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि भूलवंश अजमेरसिंह पुत्र निधानसिंह कौम जटसिख निवासी 39 जीजी के नाम 98 हि0 रहन दर्ज हो गयी, जबकि प्रार्थी व उसके भाई–बहिनों द्वारा उक्त भूमि पर कभी कोई लोन नहीं लिया था तथा न ही किसी बैंक से लोन लिया थ, अब जब प्रार्थी बैंक से लोन लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गया तो पता चला कि उक्त भूमि किसी प्राईवेट व्यक्ति अजमेरसिंह के नाम रहन दर्ज है जबकि प्रार्थी व उसके भाई–बहिनों द्वारा कभी भी कोई कर्ज नहीं लिया था, जब प्रार्थी रहन दर्ज व्यक्ति अजमेरसिंह के गांव 39 जीजी गया तो पता चला कि अजमेरसिंह नाम के व्यक्ति को फौत हुए 30 साल हो चुके हैं, तथा बाद में अजमेरसिंह के वारिसान भी फौत हो चुके हैं, अब अजमेरसिंह के पौते है, कुछ इस गांव में रहते है अन्य कहां रहते है पूछताछ करने पर भी मालूम नहीं हुआ, जब ग्राम 39 जीजी में रहने वाले अजमेरसिंह के पोते से प्रार्थी ने उक्त कर्ज के बारे में पूछा तो उन्होने स्पष्ट

(...कुमार) ...धिकारी ...(राज0)

Scanned by CamScanner

कि हमारे दादा ने कभी किसी को कर्ज नहीं दिया
त कर्ज के बारे में जानकारी है। उक्त भूलवंश दर्ज हुई
को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उक्त
हन के कारण अन्य कोई बैंक प्रार्थी को कर्ज या लोन नहीं दे
ही भूमि बेचान कर सकता है, तथा ना ही बहनों द्वारा प्रार्थी के
दारी हो सकती है, उक्त भूमि अजमेरसिंह के नाम कब रहन दर्ज
मालूम नहीं है। उक्त भूमि पर रहन भूलवंश दर्ज हुए काफी समय
इसलिए अजमेरसिंह व उसके वारिसान भी फौत हो चुके हैं, अब
के तीसरी पीढी के वारिसान है, जिन्हें प्रार्थी जानता नहीं है, इसलिए
ाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना निकलवाकर और यदि कोई आपत्ति
के वारिसान की तरफ से नहीं आती है तो प्रार्थी की भूमि से भूलवंश
हन को हटाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पदमपुर
के चक 46 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या
या/पुराना के मु0न0 4 में 0.430 है0, मु0न0 5 में 4.8200 है0, मु0न0
400 है0; मु0न0 55 में 0.3420 है0 कुल 6.832 है0 नहरी भूमि में भूलवंश
रहन अजमेरसिंह पुत्र निधानसिंह, जटसिख निवासी 39 जीजी का नाम
भूमि रहनमुक्त करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन
ोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई।
द्वारा दिनांक 06.09.2019 को सीमा संदेश समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया
। जिस संबंध में न्यायालय में किसी द्वारा कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत नहीं
या।

तहसीलदार (भू0अ0) पदमपुर ने अपने पत्रांक भू0अ0/2019/3967 दिनांक 17.10.2019 द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक रिपोर्ट ) पटवारी जांच रिपोर्ट इस प्रकार से है कि चक 46 जीजी के खाता संख्या 66 री
0) (सम्वत 2073–76) में प्रीतमसिंह, वीरासिंह पि0 सुन्दरसिंह, जंगीर कौर, सीतो, छोटी पुत्रींया सुन्दरसिंह हर पांच बहिब0 5/7 हि0 मिलखीराम, गोलाराम पि0 जंगीरसिंह हर दो बहिब0 1/7 हिस्सा 17 एमपीए तहसील घड़साना कौम मजबी खातेदार रहन हि0 अजमेरसिंह 98 हि0 पुत्र निधानसिंह कौम जटसिख सा0 39

Scanned by CamScanner

मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। अजमेरसिंह पुत्र निधानसिंह की मृत्यु को लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं, जिसके वारिसों को इस प्रकार के रहन के बारे में जानकारी नहीं है। यह रहन भू0 प्रबंध से पूर्व में रिकार्ड में भी दर्ज है। मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 34 में कुल 540 हिस्सा में सुन्दरसिंह वल्द रतनसिंह कौम मजबी सा0 देह 442 हि0 खातेदार व खातेदार रहन 98 हिस्सा अजमेरसिंह वल्द निधानसिंह कौम जटसिख सा0 39 जीजी मुर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में 442 हिस्सा में उक्तानुसार 5/7 + 1/7 + 1/7 =1 हिस्सा व रतन हि0 अजमेर सिंह 98 हि0 पुत्र निधानसिंह कौम जटसिख सा0 39 जीजी मुर्तहीन आज भी बदस्तूर चला आ रहा है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो पाया कि चक 46 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 66/62 नया/पुराना के मु0न0 4 में 0.430 है0, मु0न0 5 में 4.8200 है0, मु0न0 11 में 1.2400 है0, मु0न0 55 में 0.3420 है0 कुल 6.832 है0 नहरी भूमि में से रहन हिस्सा अजमेरसिंह 98 हिस्सा पुत्र निधानसिंह जाति जटसिख निवासी 39 जीजी दर्ज रिकार्ड है जो भू0प्रबंध से पूर्व में भी रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अजमेरसिंह की मृत्यु को लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं जिसके वारिसों को इस रहन के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए चक 46 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 66/62 नया/पुराना के मु0न0 4 में 0.430 है0, मु0न0 5 में 4.8200 है0, मु0न0 11 में 1.2400 है0, मु0न0 55 में 0.3420 है0 कुल 6.832 है0 नहरी भूमि में से दर्ज रहन अजमेर सिह 98 हिस्सा पुत्र निधानसिंह जटसिख निवासी 39 जीजी हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः चक 46 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 66/62 नया/पुराना के मु0न0 4 में 0.430 है0, मु0न0 5 में 4.8200 है0, मु0न0 11 में 1.2400 है0, मु0न0 55 में 0.3420 है0 कुल 6.832 है0 नहरी भूमि में से दर्ज रहन अजमेर सिह 98 हिस्सा पुत्र निधानसिंह जटसिख निवासी 39 जीजी हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार पदमपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.03.19 14:11:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: